<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ</u>

पीठासीन अधिकारीः—**दिव्या** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—40 / 2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः— 251 क(1) आर.टी.ए.

1 हरदर्शन सिंह पुत्र शेरसिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 यूटीएस उत्तमसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ

— प्रार्थी

बनाम्

1 परमजीत कौर पत्नी हाकमसिंह उर्फ नाहर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 यूटीएस उत्तमसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ

2 बूटासिंह पुत्र हाकम सिंह उर्फ नाहर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 यूटीएस उत्तमसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ

3 रमनदीप कौर पुत्री विक्रमजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 यूटीएस उत्तमसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ

4 जगदेव सिंह पुत्र हरदर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 यूटीएस उत्तमसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ

—असल अप्रार्थीगण

5 चमकौर सिंह पुत्र बंतासिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 यूटीएस उत्तमसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ

6 अमरजीत कौर पुत्री बंतासिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 यूटीएस उत्तमसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ

7 बलकौर सिंह पुत्र बंतासिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 यूटीएस उत्तमसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ

— तरतीबी अप्रार्थीगण

8 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

उपस्थित :—

1. श्री अनिल शर्मा — अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री नवदीप कड़वासरा — अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 ता 7
3. राजपैरोकार अप्रार्थी सं. 8

<u>—::आदेश::—</u>

दिनांक ....

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट (संसोधित अधिनियम 2010) के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि चक 4 यूटीएस खाता सं. 51 / 47 प.न. 46 / 205 मु.न. 3 किला न. 11 ता 25, प.न. 46 / 206 मु.न. 8 कि.न. 1 ता 5 कुल 3.920 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

यह है कि अप्रार्थीगण के नाम चक 4 यूटीएस खाता सं. 27 / 16 प.न. 46 / 206 मु.न. 8 कि.न. 21 ता 25 प.न. 46 / 207 मु.न. 13 कि.न. 1 ता 15 प.न 47 / 207 मु.न. 14 कि.न 1 ता 15 प.न. 48 / 207 मु.न. 15 कि.न. 1 ता 4, 7 ता 15, कुल 11.688 है. भूमि रिकार्ड दर्ज है इसी चक के खाता सं. 38 / 38 के प.न. 46 / 206 मु.न. 8 कि.न. 1 ता 16 कुल 3.796 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी संलग्नक प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की मद 2 में वर्णित रकबा में आवागमन के लिए प.न. 46 / 206 मु.न. 8 किला नं. 21 ता 25 के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर होते हुए प.न. 46 / 206 मु.न 8 किला नं. 25, 16, 15, 6, 5 के पूर्वी दिशा की ओर दक्षिणी से उत्तर की ओर 2 बिस्वा रास्ता यानि 0.026 है. चालू है जिसका उपयोग प्रार्थी लंबे समय से कर रहा है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता सुविधाजनक नहीं है। प्रार्थी को उक्त रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है। किंतु राजस्व रिकार्ड में प.न. 46 / 206 मु.न. 8 किला नं. 25, 16, 15, 6, 5 के पूर्वी दिशा दक्षिण से उत्तर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। इसके कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:13:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को रास्ता उपयोग में परेशानी का सामना करना पडता है। प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

यह है कि प्रार्थी के रकबा में रास्ते के लिए उपयोग में ली जा रही कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के कब्जाकाश्त में है, प्रार्थी के साथ लिखित समझोता अनुसार रास्ता के लिए सहमति दी जा चुकी है किंतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। जिसको दर्ज करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। रास्ते की एवज में प्रार्थी द्वारा डीएलसी दर से अप्रार्थीगण को भुगतान किया जा चुका है। सहमति शपथ पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह है कि प्रार्थी ने प्रश्नगत चालू रास्ते को स्वीकृत करवाने व राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया तो वे पहले तो टालमटोल करते रहे, अन्ततः स्पष्ट इनकार हो गये। बस यही वाद का कारण है।

≈ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई अप्रार्थी सं. 1 व 7 की ओर से अधिवक्ता नवदीप कड़वासरा ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 7 जवाब इकबाल दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 7 द्वारा प्रस्तुत इकबाल दावा का भली–भांति अवलोकन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251 (।) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955 के नियम–68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में इकबाल दावा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैः–

–::क्रियान्विति आदेश::–

मुताबिक राजीनामा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाता है कि चक 4 यूटीएस खाता सं. 27/16 के प.न. 46/206 मु. न 8 किला नं. 25, 16, 15, 6, 5 के पूर्वी दिशा की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर 2 बिस्वा रास्ता प्रत्येक किले से स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन अथवा न्यायिक विवाद नहीं हो तो आरटीए 251–ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्वा रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:13:45 IST
Reason: SelfAttested